कार्यवाही विवरण

मेसर्स देवरहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री रामगोपाल डिक्सेना), ग्राम–देवरहा, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल–4.995 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 06/09/2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–नवीन शासकीय प्राथमिक शाला परिसर देवरहा, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स देवरहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री रामगोपाल डिक्सेना), ग्राम–देवरहा, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल–4.995 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र नई दुनिया, बिलासपुर में दिनांक 05.08.2023 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 05.08.2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 06/09/2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–नवीन शासकीय प्राथमिक शाला परिसर देवरहा, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, महाप्रबंधक, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, **सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–देवरहा, पिसौद, जर्वे, बिरगहनी, लच्छनपुर, मड़वा, तेंदूभाटा, पीथमपुर, गौध, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.),** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित **तिथि 06/09/2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–नवीन शासकीय प्राथमिक शाला परिसर देवरहा, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर –चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री एस.पी.वैद्य अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री जगमोहन चंद्रा, पी.एण्ड एम. साल्युशन, नोएडा के द्वारा मेसर्स देवरहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री रामगोपाल डिक्सेना), ग्राम–देवरहा, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल–4.995 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष के परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री राजकुमार पाल, ग्राम–देवरहा** :– चूना पत्थर खदान खुलने से हमारे ग्राम के बेरोजगारो को रोजगार मिलेगा। शासन की ओर से जो गौण खनिज का राशि है व पंचायतो के फण्ड में आयेगा। उस राशि से हमारे ग्राम पंचायत का विकास होगा। पूर्ण रूप से सहमत हूँ और इनका मैं समर्थन करता हूँ।

2. **श्री रोहित कुमार साहू, ग्राम पंचायत पीथमपुर, सरपंच** :– देवरहा में चूना पत्थर खुलने से हमारे ग्राम पंचायत एवं देवरहा जनसमुदाय की ओर से किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, पर्यावरण की व्यवस्था है, उसको देखते हुए पानी, पेड–पौधा आदि, जो समस्या है, गांव की उसको सुनिश्चित रूप से व्यवस्था को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते रहे। जन सुनवाई में सहमत हूॅ। अपनी तरफ से प्राथमिकता देता हूॅ।

3. **श्री सुखसिंह, ग्राम–देवरहा** :– पत्थर खदान हमारे यहां खुल रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूॅ।

4. **श्रीमती द्रौपती बाई केवट, ग्राम–देवरहा सरपंच** :– मैं सहमत हूॅ।

5. **श्री जय प्रकाश, ग्राम–देवरहा** :– चूना पत्थर खदान खुलने से, मैं समर्थन करता हूॅ।

6. **श्री नरेन्द्र कुमार राठौर, ग्राम–बिरगहनी** :– जन सुनवाई का, मैं समर्थन करता हूॅ।

7. **श्री लालचंद** :– समर्थन।

8. **श्री किशोर राठौर बिरगहनी** :– मैं इस योजना प्रस्ताव का समर्थन करता हूॅ, इससे गांव व आसपास के क्षेत्र जो नये–नये नव–युवक लडके है, बेरोजगारो है इनको आवक का साधन बनेगा। इससे रायल्टी की राशि से शासन को राजस्व का फायदा होगा। इस योजना का संपूर्ण रूप से मैं समर्थन करता हूॅ।

9. **श्री पवन राठौर, ग्राम–बिरगहनी** :– मै इसको समर्थन करता हूॅ।

10. **श्री तिरथराम पटेल** :– समर्थन करता हूॅ।

11. **श्री नीरज, ग्राम–देवरहा** :– मैं समर्थन करता हूॅ।

12. **श्री छोटे लाल साहू, ग्राम–पीथमपुर** :– चूना पत्थर खदान खुलने से कोई आपत्ति नहीं है, मैं समर्थन करता हूॅ।

13. **श्री लखन केवट, ग्राम–देवरहा** :– समर्थन करता हूॅ।

14. **श्री बरजवा केवट, ग्राम–देवरहा** :– समर्थन करता हूॅ।

15. **श्री फिरतूराम साहू, ग्राम–पीथमपुर** :– मैं समर्थन करता हूॅ।

16. **श्री जवाहर लाल बरेठ, ग्राम–उदयबंद** :– जनसंपर्क में मोर पूरा सहमति है।

17. **श्रीमती सुशीला, ग्राम–देवरहा, पंच** :– खदान खोलने में इंकार नहीं है, नवा–नवा घर चरक जाथे।

18. **श्रीमती सुनीता बाई यादव, ग्राम–देवरहा** :– हमें खदान खोलने से कोई आपत्ति नहीं है। बोर ब्लास्टिंग से है, बोर ब्लास्टिंग से हमारे घर चरक रहा है। सबके घर में दरार पड रहा है। बोर ब्लास्टिंग को बंद करो।

19. **श्री कन्हैया लाल केवट** :– जन समस्या का समाधान करता हूँ।

20. **श्री ओम प्रकाश यादव** :– मोला खदान से बहुत आपत्ति है, मोला खदान नहीं चाहिए।

21. **श्री राकेश यादव, ग्राम–देवरहा** :– खदान से बहुत आपत्ति है।

22. **श्री राजा, ग्राम–देवरहा** :– क्रेशर खदान से आपत्ति है धूल मिटटी आथे, ये कुछ नहीं करत हे, कोई मतलब के नहीं हे। खदान नहीं खुलना चाहिए।

23. **श्री लाला केवट, ग्राम–देवरहा** :– खदान नहीं खुलना चाहिए, खदान खुलने में आपत्ति है, पेड–पौधा हमेशा खराब होथे। पेड मर जाते, कोई मतलब नहीं हे, खदान हमारे काम नहीं करते।

24. **श्री संतोष, ग्राम–देवरहा** :– खदान नहीं चाहिए, घर टूटत हे, फुटत हे।

25. **श्री सागरपाल, ग्राम–देवरहा** :– खदान नहीं खोलना है बस।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 12:30 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 05 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका –टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 25 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 90 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 78 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा